GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय

RAILWAY BOARD/रेलवे बोर्ड

****

S. No. PC-VII/30
No. PC-V/2017/A/NPA/1

RBE No. 82/2017
New Delhi, dated 04/08/2017

The General Managers
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list)

Subject:– Recommendations of the 7th CPC- Grant of Non-Practising Allowance (NPA) at revised rates to IRMS Officers.

Please refer to Board's letter No.PC-V/2008/A/O/1(NPA), dt. 22.09.2008 (RBE No.122/2008) regarding the existing rates of Non-Practising Allowance (NPA) admissible to IRMS Officers and as provided for in para 9 of the Schedule for RS (RP) Rules,2016, dt. 02.08.2016 (RBE No.93/2016), the question of revision of rates of allowances (except Dearness Allowance) based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission were to be notified subsequently and separately. Until then, all allowances were required to be paid at the existing rates in the existing pay structure (the pay structure based on 6th Pay Commission) as if the pay has not been revised w.e.f. 1st January, 2016. Accordingly, NPA was also required to be paid at the existing rates specified in the aforesaid Board's letter dt.22.09.2008 (RBE No.122/2008).

2. The decisions of the Government on the revised rates of various allowances based on the recommendations of the 7th Central Pay commission and in the light of the recommendations of the Committee under the Chairmanship of the Finance Secretary, constituted for this purpose, have since been notified.

3. Accordingly, the President is pleased to decide that in modification of the existing rates of NPA as contained in the aforesaid Board's letter dt. 22.09.2008, the NPA shall now be paid at the rate of 20% of the basic pay in the revised pay structure in vogue based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission, as contained in the RS(RP) Rules, 2016, subject to the condition that the sum of basic pay and NPA does not exceed ₹2,37,500 (Rupees two lakh thirty seven thousand and five hundred only). The following conditions shall regulate the grant of NPA under these orders:

(i) The term "basic pay" in the revised pay structure shall mean "basic pay" as defined in Rule 3(x) of RS (RP) Rules, 2016, i.e., "basic pay" in revised pay structure means the pay drawn in the prescribed level in the Pay Matrix.

(ii) The NPA shall continue to be treated as pay for the purpose computation of Dearness Allowance and other allowances, except those allowances in respect of which the applicable orders provide otherwise, including calculation of retirement benefits. Dearness Allowance under these orders shall mean

dearness allowance as sanctioned by the Central Government from time to time in the 7th Pay Commission –related pay structure.

(iii) NPA shall continue to be restricted to those medical posts for which medical qualifications recognised under the Indian Medical Council Act, 1956 or under the Dentist Act, 1948 have been prescribed as an essential qualification. The following conditions shall also be fulfilled as hitherto:-

(a) The post is a clinical one.
(b) The post is a whole time post.
(c) There is ample scope for private practice, and
(d) It is necessary to prohibit private practice in public interest.

4. The revised rate of NPA in terms of these orders shall take effect from 1st July, 2017.

5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

6. Hindi version of these orders will follow.

{Authority:MoF's OM No. 12-2/2016-EIII.A, dt.7th July, 2017)

(N.P.Singh)
Dy. Director, Pay Commission-V
Railway Board

No. PC-V/2017/A/NPA/1 **New Delhi, dated 04/08/2017**

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways

No. PC-V/2017/A/NPA/1 **New Delhi, dated 04/08/2017**

Copy forwarded to:-

1) The General Secretary, NFIR, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (35 spares).
2) The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhavan, New Delhi (35 spares).
3) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares)
4) The Secretary General FROA
5) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association
6) The President, Railway Board Group 'B' Officers' Association
7) The Secretary General, All India RPF Association
8) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

क्र.सं. पीसी-VII/30 आरबीई सं.82/2017
सं. पीसी-V/2017/ए/एनपीए/1 नई दिल्ली, दिनांक04/08/2017

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक-सूची के अनुसार)

विषय: आईआरएमएस अधिकारियों को संशोधित दरों पर नॉन प्रेक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) प्रदान करने के लिए सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें।

कृपया बोर्ड के दिनांक 22.09.2008 के पत्र सं. पीसी-V/2008/ए/ओ/1(एनपीए) (आरबीई सं. 122/2008) का अवलोकन करें जो आईआरएमएस अधिकारियों को स्वीकार्य नॉन प्रेक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) की मौजूदा दरों के संबंध में है और जैसाकि दिनांक 02.08.2016 के आरएस(आरपी) नियम, 2016 (आरबीई सं. 93/2016) की अनुसूची के पैरा 9 में व्यवस्था है, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भत्तों (महंगाई भत्ता छोड़कर) की संशोधित दरों से संबंधित प्रश्न को बाद में अलग से अधिसूचित किया जाना था। तब से मौजूदा वेतन संरचना में मौजूदा दरों (छठे केन्द्रीय वेतन आयोग पर आधारित वेतन संरचना) पर सभी भत्तों का भुगतान इस प्रकार करना अपेक्षित था मानो 1 जनवरी, 2016 से वेतन में संशोधन हुआ ही न हो। तदनुसार, बोर्ड के दिनांक 22.09.2008 के पूर्वोक्त पत्र (आरबीई सं. 122/2008) में विनिर्दिष्ट मौजूदा दरों पर एनपीए का भी भुगतान करना अपेक्षित था।

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर और इस प्रयोजन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समीति की सिफारिशों के आलोक में अब विभिन्न भत्तों की संशोधित दरों पर सरकार के निर्णय अधिसूचित कर दिए गए हैं।

3. तदनुसार, राष्ट्रपति सहर्ष निर्णय लेते हैं कि बोर्ड के दिनांक 22.09.2008 के पूर्वोक्त पत्र में यथा निहित एनपीए की मौजूदा दरों में संशोधन करते हुए, अब एनपीए का भुगतान संशोधित वेतनमान (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में यथा निहित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रचलित संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन का 20% की दर से एक समान रूप से किया जाएगा बशर्ते कि मूल वेतन और एनपीए का योग ₹ 2,37,500/- (मात्र दो

लाख सैंतीस हजार और पांच सौ रुपए) से अधिक न हो। निम्नलिखित शर्तों के अनुसार इन आदेशों के अंतर्गत एनपीए प्रदान किया जाएगा।

(i) संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" शब्द का अर्थ वहीं होगा जो संशोधित वेतनमान(संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 3(x) में यथा परिभाषित "मूल वेतन" में होगा अर्थात् संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" का अर्थ पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में प्राप्त वेतन होगा।

(ii) एनपीए को महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों की गणना करने के प्रयोजन से वेतन के रूप में माना जाता रहेगा जिसमें सेवानिवृत्ति लाभ की गणना सहित वे भत्ते शामिल नहीं होंगे जिसके संबंध में अन्यथा प्रदत्त लागू आदेश शामिल नहीं होंगे। इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का अर्थ सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के संबंधित वेतन संरचना में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा स्वीकृत महंगाई भत्ता होगा।

(iii) एनपीए उन चिकित्सीय पदों तक सीमित रहेगा जिसके लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अथवा दंत चिकित्सा अधिनियम,1948 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं को अनिवार्य अर्हता के रूप में निर्धारित किया गया हो। अभी तक निम्नलिखित शर्तें भी पूरी की जाएंगी:

(क) पद चिकित्सीय है।
(ख) पद पूर्णकालिक है।
(ग) प्राइवेट प्रैक्टिस का काफी अवसर है, और
(घ) सार्वजनिक हित में प्राइवेट प्रैक्टिस को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

4. **इन आदेशों के अनुसार एनपीए की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगी।**

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(प्राधिकार : वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 12-2/2016-ईIII.ए, दिनांक 7 जुलाई, 2017)

(एन. पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड